

बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021



सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021

बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. निगमन (इंकार्पोरेशन) ।
4. क्षेत्राधिकार ।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य ।
7. विश्वविद्यालय लिंग, जेन्डर, जाति, पंथ, प्रजाति अथवा वर्ग का विचार किए बिना सभी के लिए खुला रहेगा ।
8. नामांकन में आरक्षण ।
9. कुलाधिपति (चांसलर) ।
10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण ।
11. कुलपति ।
12. कुलपति की शक्ति, कर्तव्य एवं कृत्य ।
13. कुलपति को हटाया जाना ।
14. संकायाध्यक्ष (डीन) ।
15. रजिस्ट्रार ।
16. वित्त पदाधिकारी ।
17. परीक्षा नियंत्रक ।
18. अन्य पदाधिकारीगण ।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।
20. सामान्य परिषद् ।
21. कार्य-परिषद् एवं उसके नियम एवं शर्तें ।
22. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् ।
23. संबन्धन बोर्ड ।
24. वित्त समिति ।
25. अन्य प्राधिकार ।
26. कानूनों को बनाने की शक्ति ।
27. कानून (परिनियम) किस तरह बनाये जाए ।

28. विनियम।
29. वार्षिक प्रतिवेदन।
30. वार्षिक लेखा और अंकेक्षण।
31. विश्वविद्यालय की निधियाँ।
32. विवरण प्रस्तुत करना।
33. कर्मचारियों की सेवाशर्तें इत्यादि।
34. अपील करने का अधिकार।
35. भविष्य निधि एवं पेंशन निधि।
36. प्राधिकारों और निकायों के गठन संबंधी विवाद।
37. आकस्मिक रिक्तियों को भरना।
38. रिक्तियों द्वारा प्राधिकारों अथवा निकायों की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
39. नेकनीयती में की गई कार्रवाई का बचाव।
40. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत (प्रूफ) का स्वरूप (मोड)।
41. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
42. अन्तर्वर्ती उपबंध।

बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

बिहार राज्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही चयनित खेलों के लिए उच्च स्तरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से तथा इससे संबंधित अथवा इसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय को स्थापित और सम्मिलित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- (i) यह अधिनियम बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ :

इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) "विद्या (एकेडेमिक) एवं क्रियाकलाप परिषद् (एक्टिविटी काउंसिल)" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या एवं क्रियाकलाप परिषद्;
- (ii) "एकेडेमिक स्टाफ" से अभिप्रेत है, स्टाफ की ऐसी कोटियां, जैसा कि कानून (स्टेट्यूट) द्वारा एकेडेमिक स्टाफ के रूप में विहित हों;
- (iii) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है, जैसा कि कानून द्वारा यथा विहित विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वर्ष;
- (iv) सम्बंधन (अॅफिलिएशन) से अभिप्रेत है इस प्रयोजनार्थ विरचित कानूनों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बंधन;
- (v) "सम्बद्ध संस्थान" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा यथा संबद्ध खेल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का संस्थान;
- (vi) "स्वायत्त संस्थान" से अभिप्रेत है, ऐसे संस्थान, जिन्हें सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत विहित उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त घोषित किया गया है;
- (vii) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (viii) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है, बिहार का मुख्यमंत्री;

- (ix) "महाविद्यालय (कॉलेज)" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत स्थापित अथवा सम्पोषित अथवा गृहीत या राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित शैक्षणिक संस्था;
- (x) "विभाग" से अभिप्रेत है, अध्ययन केन्द्र सहित विश्वविद्यालय का विभाग;
- (xi) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी;
- (xii) "कार्य परिषद्" (एक्जेक्यूटिव काउंसिल) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
- (xiii) "संकाय" (फैकुलिटी) से अभिप्रेत है, कानून द्वारा यथा परिभाषित विश्वविद्यालय का संकाय;
- (xiv) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (xv) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा 31 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि;
- (xvi) "सामान्य परिषद्" (जनरल काउंसिल) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का सामान्य परिषद्;
- (xvii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (xviii) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन विभाग का अध्यक्ष;
- (xix) "संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा सम्पोषित अथवा गृहीत कोई शैक्षणिक संस्था अथवा कोई महाविद्यालय / विद्यालय / केन्द्र;
- (xx) "अवचार" से अभिप्रेत है, कानूनों द्वारा विहित अवचार;
- (xxi) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना;
- (xxii) "दूरस्थ परिसर" (आउटलाइंग कैम्पस) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय परिसर, जिसे बिहार राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है;
- (xxiii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय (कॉलेज) का प्रधान और इसमें शामिल है, जहाँ कोई प्राचार्य नहीं है, तो वैसा व्यक्ति, जिसे प्राचार्य के रूप में कार्य सम्पादन हेतु तत्समय के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है;
- (xxiv) "खेल (स्पोर्ट्स) में व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों" से अभिप्रेत है, खेलकूद के विभाग को साकल्यवादी (हॉलिस्टिक) युक्त शिक्षा, जिसमें विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा हुनर हो और इसमें खेल विज्ञान एवं मेडिसिन, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण, अन्तः विषयक अध्ययन, योगिक विज्ञान तथा अन्य ऐसे सुसंगत पाठ्यक्रम शामिल हैं;

- (xxv) "मान्यता प्राप्त शिक्षक" से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जिनको विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के संदर्भ में गृहीत किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अच्छा समझा गया है;
- (xxvi) "विनियम" से अभिप्रेत है, वैसे विनियम, जो तत्समय प्रवृत्त होने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा विरचित किये गए हैं;
- (xxvii) "स्कूल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अध्ययन संबंधी स्कूल;
- (xxviii) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 11 (3) के अधीन यथा गठित समिति;
- (xxix) "स्व-वित्तपोषण संस्था" से अभिप्रेत है, वैसी संस्थाएं, जो किसी न्यास (ट्रस्ट) अथवा किसी सोसाइटी द्वारा स्थापित हों;
- (xxx) "राज्य" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;
- (xxxi) "कानून (परिनियम) एवं अध्यादेश" से अभिप्रेत है, क्रमशः तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के कानून (परिनियम) एवं अध्यादेश;
- (xxxii) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से अभिप्रेत है, प्रोफेसर, सम्बद्ध प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें विश्वविद्यालय में अथवा किसी दूरस्थ परिसर, कॉलेज अथवा संस्था में और विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित ऐसी संस्था में शिक्षा प्रदान करने, प्रशिक्षण देने अथवा शोध करने के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा अध्यादेश द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित किया गया हो;
- (xxxiii) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन किसी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एवं निगमित बिहार खेल विश्वविद्यालय;
- (xxxiv) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम-3) की धारा-4 के अधीन स्थापित आयोग;
- (xxxv) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति; और
- (xxxvi) जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का यहां इस्तेमाल किया गया है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके बारे में इस अधिनियम में वहीं अर्थ क्रमशः दिए गए हैं।

3. निगमन (इंकार्पोरेशन) :

- (i) ऐसी तिथि के प्रभाव से, जैसा कि सरकार. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे, बिहार खेल विश्वविद्यालय के नाम से किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपति, सामान्य परिषद्, कार्य परिषद् और एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के प्रथम सदस्य

होंगे तथा ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्हें ऐसे कार्यालय में इसके आगे नियुक्त किए जाएं और जबतक वे ऐसे कार्यालय में कार्यरत रहें अथवा उनकी सदस्यता कायम रहे;

- (ii) पूर्वोक्त नाम से विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसमें सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने एवं बेचने तथा संविदा करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार एवं कॉमनसील होगी तथा उक्त नाम से वाद करने अथवा वाद होगा;
- (iii) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिहार राज्य के राजगीर में स्थित होगा।

4. क्षेत्राधिकार :

- (i) विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा;
- (ii) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि के क्षेत्र में और खेल शिक्षा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में संकायों के स्थापित करने के लिए सरकार में एवं निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में संस्थाओं को स्थापित करने के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय;
- (iii) सरकार द्वारा स्थापित सभी खेल शिक्षा अभिमुख संस्थाओं तथा राज्य के मौजूदा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध घटक अथवा भविष्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि प्रदान करने के संदर्भ में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय उस तिथि से सम्बद्ध होने के पात्र होंगे, जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इसके संदर्भ में बनाए गए कानूनों (परिनियमों) अथवा अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित रीति से;
- (iv) तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर, शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि प्रदान करने वाले वैसे संस्थाओं और राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता को उस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी, जिससे ऐसे संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की गई है और ऐसे संस्थाओं को विश्वविद्यालय से ऐसी तिथि से सम्बद्ध समझा जायेगा, जैसा कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो;
- (v) विश्वविद्यालय ऐसे संस्थाओं के ऊपर ऐसे नियम एवं शर्तों को लगा सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अथवा आनुषंगिक हो और तब सम्बद्धता प्रदान करेगा;

- (vi) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी और खेल प्रबंधन इत्यादि प्रदान करने वाली स्वतः वित्तपोषण संस्था के रूप में किसी न्यास (ट्रस्ट) अथवा सोसाइटी द्वारा स्थापित मौजूदा संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता (लिबर्टी) होगी। विश्वविद्यालय इसके संदर्भ में विरचित कानूनों (परिनियमों), अध्यादेश एवं विनियमों के अधीन दी गई शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विचार करेगा और शर्तों के साथ सम्बंधन प्रदान करेगा;
- (vii) राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय का अंग होगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे :

- (i) बिहार को खेल के क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना;
- (ii) खेल के अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, आधुनिक खेल एवं प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट डिजाईन के एकेडमिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करने के माध्यम से शोध एवं विकास तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए मंच (प्लेटफॉर्म) का सृजन करना;
- (iii) खेल एवं शारीरिक शिक्षा के हॉलिस्टिक (समग्र) विकास हेतु उच्च स्तरीय शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का व्यापक रूप (पूल) सृजित करना;
- (iv) उच्च स्तरीय खेल पेशेवर एवं खेल तकनीकी विशेषज्ञों का व्यापक रूप (पूल) सृजित करना;
- (v) बिहार खेल नीति, खेल योजना, खेल क्रिया-कलापों आदि के विकास हेतु विशेषज्ञ दल (थिंक टैंक) के रूप में कार्य सम्पादन;
- (vi) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन एवं खेल कोचिंग, साथ ही परम्परागत और राष्ट्रीय स्तर के खेलों को बढ़ावा देना;
- (vii) सभी खेलकूदों एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना;
- (viii) सभी खेलकूदों एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध के प्रयोजनार्थ खेल एकेडमियों, स्कूलों, कॉलेजों, खेल एवं मनोरंजन क्लब, खेल एसोसियेशनों एवं अंतरराष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना;
- (ix) सभी खेल विधाओं एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों को तैयार करना;

- (x) शारीरिक शिक्षा, खेल प्रौद्योगिकी, खेल विज्ञानों, इत्यादि में सभी खेल विधाओं एवं खेलों तथा इनोवेशन (नवाचार) के एलीट एवं अन्य प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना;
- (xi) ऐसे अन्य उद्देश्यों, जो इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं, जिन्हें राज्य सरकार, इसके पक्ष में विशेषकर, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, उल्लेख कर सकेगी।

6. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, यथा :-

- (i) विश्वविद्यालय का प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य का वहन करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शोध जैसे आवश्यक हेतु ऐसी संस्थाओं और केन्द्रों को स्थापित करना;
- (ii) संस्थाओं की स्थापना करना एवं रख-रखाव करना;
- (iii) कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित रीति में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, रख-रखाव अथवा मान्यता प्रदान करना;
- (iv) शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन एवं सहबद्ध क्षेत्रों में आने वाले ज्ञान अथवा जानकारी, संबंधी ऐसी शाखाओं में अनुदेशन, प्रशिक्षण और शोध के लिए व्यवस्था करना;
- (v) योजना बनाना, डिजाइन करना, विकास करना और अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना और शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी खेल प्रबंधन, इत्यादि में समुचित एकेडमिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय जैसा कि ज्ञानवर्धन संबंधी ऐसी शाखाओं में अनुदेशन एवं प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना तथा शोध कार्य के लिए और जानकारी संबंधी अग्रवर्ती एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रावधान करना;
- (vi) विश्वविद्यालय जैसा निर्धारित करे, वैसी शर्तों के अध्याधीन डिप्लोमा, अथवा प्रमाण पत्र प्रदान करना और लोगों को परीक्षा, मूल्यांकन अथवा किसी अन्य जांच तरीके के आधार पर डिग्री अथवा अन्य एकेडेमिक उपाधि प्रदान करना तथा सही एवं पर्याप्त कारण की वजह से ऐसे प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियां अथवा अन्य एकेडेमिक उपाधियों का वापस लेना;
- (vii) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल मेडिसिन, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रों में अभिनव प्रयोगों का संचालन करना तथा नई पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना;
- (viii) नये सहबद्ध पाठ्यक्रम अथवा शोध कार्यक्रम अथवा डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना तथा किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करना;

- (ix) विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, कोचिंग देने और अन्य बैकअप की व्यवस्था करना;
- (x) सिखाने एवं प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी करने, साथ ही फिल्मों, कैसेटों, टेपों, विडियो कैसेटों एवं अन्य सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करना;
- (xi) शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, अन्य एकेडमिक स्टाफों एवं विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, वर्कशॉपों, सेमिनारों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना;
- (xii) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की राय में यथा आवश्यक शोध, सिखाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे दूरस्थ परिसरों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं अथवा अन्य इकाइयों की कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के साथ स्थापित करना एवं रख-रखाव करना;
- (xiii) कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विशिष्टियाँ प्रदान करना, स्थापित करना और पुरस्कार प्रदान करना;
- (xiv) प्राचार्य, प्राध्यापक (प्रोफेसर), सह प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर), सहायक प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) और अन्य शिक्षण अथवा एकेडेमिक पदों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, को सृजित करना अथवा ऐसे प्राचार्य, प्राध्यापक (प्रोफेसर), सह प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर), सहायक प्राध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) अथवा अन्य शिक्षक अथवा एकेडेमिक पदों पर लोगों की नियुक्ति करना;
- (xv) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में देश के बाहर अवस्थित जगहों सहित किसी विश्वविद्यालय अथवा एकेडेमिक संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (xvi) प्रशासनिक एवं अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (xvii) संविदा पर अथवा अन्यथा अभ्यागत प्रोफेसरों, मानद प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सहयोग प्रदान करें, नियुक्त करना;
- (xviii) याचना करना और फीसों और अन्य चार्जों के भुगतान को प्राप्त करना;
- (xix) सभी कोटियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, साथ ही उनकी आचार संहिता निर्धारित करना;
- (xx) उपकृतियाँ, दानों एवं उपहारों को प्राप्त करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चल-अचल किसी सम्पत्ति, साथ ही ट्रस्ट एवं दान की गई

सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ अर्जित करना, धारण करना और प्रबंध करना तथा बेचना;

- (xxi) विश्वविद्यालय के हित, क्रिया-कलापों और उद्देश्यों के अनुरूप, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि यह उचित समझे, विश्वविद्यालय की सभी चल-अचल सम्पत्तियों अथवा उसके अंश को बेचना, अदला-बदली करना, पट्टे अथवा अन्यथा निपटाने का कार्य करना। बशर्ते अचल संपत्तियों के मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ली गयी हो;
- (xxii) विश्वविद्यालय वैसी शर्तों एवं बंधेजों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी भूमि अथवा भवन अथवा खेल कम्पलेक्स अथवा खेल आधारभूत संरचना और वैज्ञानिक खेल शोध उपकरण अथवा इण्डोर स्टेडियम अथवा निर्माणों (वर्क्स) की खरीद अथवा पट्टे पर लेना तथा ऐसे किसी भवन अथवा निर्माण को बनाना, फेर-बदल करना और रख-रखाव करना।
- (xxiii) खेलो इण्डिया स्कीम अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज एवं पहचान स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रियाओं एवं मानकों को नतीजा प्रदान करना;
- (xxiv) कानूनों (परिनियमों) द्वारा निर्धारित रीति से किसी कॉलेज अथवा संस्था को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना;
- (xxv) कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन भारत के अन्दर अथवा बाहर में किसी संस्था को उसके विशेषाधिकारों को स्वीकार करना, परन्तु किसी भी संस्था को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर वैसा स्वीकार नहीं किया जायेगा;
- (xxvi) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन किसी स्वीकृत संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना;
- (xxvii) स्थापित अंतरराष्ट्रीय खेल फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के समन्वय के बीच अन्य के साथ खेल टूर्नामेन्ट्स और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बारे में विश्वविद्यालय के छात्रों को अवसर प्रदान करना;
- (xxviii) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेशेवर संगठनों या निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित करना अथवा सदस्यता कायम करना;
- (xxix) खेल से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में राज्य सरकार और अन्य स्तरीय संगठनों एवं राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन के तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य सम्पादन करना; और
- (xxx) इसके ऐसे सभी कार्य एवं चीजें करने जो इसके सभी अथवा किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक अथवा सहायक हो।

7. विश्वविद्यालय लिंग, जेन्डर, जाति, पंथ, प्रजाति अथवा वर्ग का विचार किए बिना सभी के लिए खुला रहेगा :

विश्वविद्यालय लिंग, जेन्डर, जाति, पंथ, प्रजाति अथवा वर्ग का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा और यह विश्वविद्यालय के लिए कानून की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए हकदार बनाने, उसमें कोई पदधारण करने अथवा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश करने अथवा यहाँ से स्नातक होने अथवा इसके किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए उसपर धार्मिक विश्वास अथवा वृत्ति के कारण किसी प्रकार की जाँच को अंगीकार करे या अधिरोपित करे;

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक अशक्त व्यक्तियों अथवा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन हेतु विशेष उपबंध बनाने से निवारित किया गया नहीं समझा जाएगा।

8. नामांकन में आरक्षण :

बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य के निवासी महिला ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9. कुलाधिपति (चांसलर) :

- (i) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
- (ii) कुलाधिपति, जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह (कॉनवोकेशन) एवं सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (iii) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें

- वे निदेशित करे, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच-पड़ताल करवाने का अधिकार होगा।
- (iv) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करने अथवा जाँच करने संबंधी अपने इरादे से विश्वविद्यालय अथवा संस्था को सूचना देगा और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद, को यह अधिकार होगा कि ऐसी सूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के अंतर्गत, जैसा वह आवश्यक समझे, कुलाधिपति को वैसा अभ्यावेदन दे।
- (v) विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों पर विचार करने के उपरांत, कुलाधिपति उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसा निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल करेगा।
- (vi) जहाँ कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल का कार्य कराने का कारण बने, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे उपस्थित होने एवं ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल में सुने जाने का हक होगा।
- (vii) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगा, जैसा कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट है और कुलपति कार्य-परिषद् को कुलाधिपति के दृष्टिकोण के बारे में ऐसे सुझाव के साथ जैसा कुलाधिपति उस पर होने वाली कार्रवाई के बारे में करना चाहते हैं।
- (viii) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्था के बारे में निरीक्षण अथवा जाँच कार्य सम्पन्न हो गया है, ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच कार्य के परिणाम के संदर्भ में उसके ऊपर उसके दृष्टिकोण और उसके ऊपर की जानेवाली कार्रवाई के बारे में जैसा कि उसका सुझाव हो, कुलपति के माध्यम से सम्बद्ध कार्य परिषद् को सम्बोधित करेगा।
- (ix) कार्य परिषद् ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में कुलाधिपति से कुलपति के माध्यम से संसूचित करेगा, जैसा कि उसने ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच-कार्य के परिणाम के ऊपर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है।
- (x) जहाँ कार्य-परिषद्, यथास्थिति, समुचित समय के भीतर कुलाधिपति की तुष्टि के बारे में कार्रवाई नहीं करती है, तो कुलाधिपति कार्य-परिषद् द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसा निर्देश निर्गत करेगा जैसा कि वह उचित समझे और तब कार्य-परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी।
- (xi) इस धारा के पूर्वोक्त उपबंधों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के कुलाधिपति लिखित रूप से आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को रद्द कर

सकता है, जो इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं है; परन्तु कि ऐसे आदेश देने के पहले, कुलाधिपति रजिस्ट्रार को बुलाकर कारण बताने को कहेगा कि ऐसे किसी आदेश को नहीं दिया जाए और यदि कोई कारण समुचित समय सीमा के भीतर प्रकट हो तो वह उस पर विचार करेगा/करेगी।

- (xii) यदि किसी मामले के संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों के बीच भिन्नता हों, जिन्हें अन्यथा समाधान नहीं किया जा सकता हो तो कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- (xiii) कुलाधिपति में वैसी सभी शक्तियाँ निहित होंगी, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों में विहित हों।

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण :

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे, यथा :-

- (i) कुलपति;
- (ii) संकायाध्यक्ष (डीन);
- (iii) रजिस्ट्रार;
- (iv) वित्त पदाधिकारी;
- (v) परीक्षा-नियंत्रक;
- (vi) ऐसे अन्य पदाधिकारीगण जिसे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होने के लिए कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किए जाएँ।

11. कुलपति :

- (i) कुलपति प्रसिद्ध विद्वान होगा, जिसे खेल प्रशासन और/अथवा खेल प्रबंधन में व्यापक अनुभव हो और/अथवा जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति का प्रसिद्ध खिलाड़ी हो और जो मानव संसाधन विकास का पर्याप्त अनुभव रखता हो।
- (ii) कुलपति की नियुक्ति अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम तीन व्यक्तियों के पैनल से (वर्णमाला क्रम से नाम व्यवस्थित होंगे) कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। परन्तु कि यदि वैसे अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी एक को कुलाधिपति अनुमोदित नहीं करता है, तो वह पुनः अनुशंसा करने के लिए कह सकता है।
- (iii) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) में तीन सदस्यों की संख्या होगी, जिनमें से एक को कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, एक कार्य-परिषद् द्वारा और एक का मनोनयन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,

बिहार सरकार द्वारा होगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य समिति का संयोजक (कॉन्वेनर) होगा।

- (iv) परन्तु कि समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा, परन्तु आगे यह कि पैनल वैसे उम्मीदवारों से बाहर के व्यक्तियों से बनाया जाएगा, जो अपना शैक्षणिक ब्यौरा (कुरिकुलम विटा) प्रस्तुत करते हैं अथवा खेल के क्षेत्र में कुछ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित हों।
- (v) जब तक उप-धारा (3) लागू नहीं होती है, तब तक सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
- (vi) कुलपति जिस तिथि को अपना पदभार ग्रहण करता है, उस तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा, परन्तु कि कुलपति की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत कुलाधिपति कुलपति को अपने पद पर बने रहने के लिए ऐसी अवधि के वास्ते, जो एक वर्ष से अनधिक हो, जैसा कि उल्लिखित हो अपेक्षा करेगा, परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर निरंतर बने रहने के लिए अधिकतम उम्र सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।
- (vii) कुलपति की सेवा के पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा विहित किया जाएगा।
- (viii) यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा अन्यथा अथवा यदि वह अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण अपने कर्तव्य के वहन करने में असमर्थ है अथवा कोई अन्य कारण से कुलपति का पद खाली हो जाता है, तब कुलाधिपति किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों के वहन करने के लिए, यथास्थिति जब तक कि नया कुलपति अपना पदभार ग्रहण न कर ले अथवा मौजूदा कुलपति अपना पदीय कर्तव्यों के लिए उपस्थित है तब तक के लिए मनोनीत करने का प्राधिकार होगा।

12. कुलपति की शक्ति, कर्तव्य एवं कृत्य :

- (i) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक एवं एकेडेमिक पदाधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी बनाएगा।
- (ii) कुलपति यदि उसकी राय है कि किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है, उस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के ऊपर किसी प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है और ऐसे प्राधिकारी को अगली बैठक में अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वैसे विषय पर प्रतिवेदित करेगा।

परन्तु कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल आकस्मिक स्थितियों में ही किया जाएगा और सृजन के बारे में तथा पदोन्नति में और उसकी नियुक्तियों के बारे में नहीं।

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की राय है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, तब इस विषय को कुलाधिपति के समक्ष पेश किया जा सकेगा और कुलाधिपति का उस पर निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में यदि कोई व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कुलपति के द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, तो जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई के ऊपर निर्णय की जानकारी उसे दी गई है उस तिथि से तीन महीने के भीतर ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का कुलाधिपति सम्पुष्ट करेगा, संशोधन करेगा अथवा विरुद्ध उलट देगा।

- (iii) यदि कुलपति की राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय उस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों से परे है और लिया गया कोई निर्णय विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध है तो कुलपति सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसे निर्णय के साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने को कहेगा और यदि प्राधिकारी उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर उस निर्णय को पूर्णतः अथवा अंशतः समीक्षा करने अथवा कोई कार्रवाई नहीं करने से इनकार करता है तब इस विषय को कुलाधिपति के पास भेज दिया जाएगा, जिनका उस पर निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में विहित किए जाएँ।
- (v) कुलपति विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद्, वित्त समिति, एकेडेमिक एवं क्रियाकलाप परिषद् का अध्यक्ष (चेयर पर्सन) होगा।
- (vi) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीठासीन होगा और कार्य-समिति, एकेडेमिक परिषद् और वित्त समिति की अध्यक्षता करेगा।
13. कुलपति को हटाया जाना :
- (i) यदि किसी समय में और ऐसी किसी जाँच-पड़ताल के बाद, जैसा कि आवश्यक समझा जाए और कुलाधिपति को यह लगता है कि कुलपति—
- (क) ने इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) के अधीन द्वारा, अथवा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में चूक की है, अथवा
- (ख) ने विश्वविद्यालय के हितों के बारे में पूर्वाग्रह तरीके से कार्य किया है अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रबंधन में अक्षम हुआ है,

तो कुलाधिपति, तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, कारणों को लिखित रूप में बताकर आदेश द्वारा कुलपति से अपेक्षा करेगा कि वह आदेश में जैसा कि तिथि विनिर्दिष्ट हो उस तिथि से अपने पद को त्याग दें।

- (ii) जिस विशेष आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई का प्रस्ताव हुआ है उसको लिखित रूप में जब तक दिया नहीं जाता है और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताये जाने के बारे में समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तब तक उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
- (iii) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को और उस तिथि से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद को त्याग दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जाएगा।

14. संकायाध्यक्ष (डीन) :

प्रत्येक संकायाध्यक्ष (डीन) को ऐसी रीति से और सेवा की ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का उपयोग करेगा कर्तव्यों का पालन करेगा।

15. रजिस्ट्रार :

- (i) रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे निबंधन शर्तों पर की जाएगी, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, विश्वविद्यालय का प्रथम रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेगा।
- (ii) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

16. वित्त पदाधिकारी :

वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे नियम एवं सेवा शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, विश्वविद्यालय का प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा।

17. परीक्षा नियंत्रक :

परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर की जाएगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, प्रथम परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तक जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।

18. अन्य पदाधिकारीगण :

विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा :

- (i) सामान्य परिषद्;
- (ii) कार्य-परिषद्;
- (iii) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद्;
- (iv) संबंधन-बोर्ड;
- (v) वित्त-समिति;
- (vi) ऐसे अन्य प्राधिकार, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किया जाएगा, वे विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे।

20. सामान्य परिषद् :

- (i) सामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :
 - (क) कुलाधिपति, जो सभापति होंगे;
 - (ख) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, जो उप सभापति होंगे;
 - (ग) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (घ) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (ङ.) कुलपति;
 - (च) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
 - (छ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (ज) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (झ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
 - (ञ) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना;

- (ट) रजिस्ट्रार;
- (ठ) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
- (ड) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (ढ) निदेशक, राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, नालंदा, बिहार;
- (ण) प्रतिनिधि, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली (संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो);
- (त) दो प्रसिद्ध खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त।
- (ii) नियम एवं शर्तें:
- (क) जहाँ कोई व्यक्ति पद अथवा नियुक्ति जिसे वह धारण करता है, के कारण सामान्य परिषद् का सदस्य हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद अथवा नियुक्ति को धारण करने से मुक्त हो जाता है;
- (ख) पदेन सदस्यों के अलावा, सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;
- (ग) यदि सामान्य परिषद् का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है अथवा विक्षिप्त हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है, अथवा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दांडिक अपराध में दोषसिद्ध होता है, तब वह सदस्य नहीं रह जाएगा। कुलपति और रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है अथवा यदि वह पदेन सदस्य न होने की दशा में, कुलाधिपति की अनुमति (लीव) के बिना ही सामान्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है;
- (घ) पदेन सदस्य के अलावा सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र द्वारा पद से त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र जैसे ही स्वीकृत हो जाता है, वैसे ही तुरंत प्रभावी होगा; और
- (ङ.) सामान्य परिषद् में कोई भी रिक्ति कालावधि की शेष अवधि के लिए संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा मनोनयन के द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की अवधि समाप्त होने पर, ऐसा मनोनयन प्रभावी नहीं रह जाएगा।
- (iii) अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन, सामान्य परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, यथा :
- (i) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकार होगा और विश्वविद्यालय की बोर्ड नीतियों एवं कार्यक्रमों को समय-समय पर सूत्रबद्ध एवं समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए उपाय करेगा और इसके साथ निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य भी होंगे, यथा :-

- (क) कार्य परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण और बजट प्राक्कलनों पर विचार करना एवं पारित करना तथा उन्हें संशोधन के साथ अथवा बिना स्वीकार करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन संबंधी कानूनों (परिनियमों) को बनाना, साथ ही विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं पदाधिकारियों के कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अनुसरण होने वाली प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करना;
- (ii) (क) सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी;
- (ख) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्य सम्पादन का प्रतिवेदन, साथ ही प्राप्तियों एवं व्यय, यथा अंकेक्षित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और वित्तीय प्राक्कलनों के विवरण को भी विश्वविद्यालय की वार्षिक बैठक में कुलपति द्वारा सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ग) सामान्य परिषद् की बैठकें कुलाधिपति के द्वारा उनके अपने प्रस्ताव पर अथवा सामान्य परिषद् के न्यूनतम दस सदस्यों की मांग पर बुलाई जाएगी;
- (घ) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिनों की पूर्व सूचना दी जाएगी, तथापि आकस्मिक स्थितियों में परिषद् की बैठक अल्प सूचना पर कुलाधिपति द्वारा बुलाई जा सकती है;
- (ङ.) सामान्य परिषद् की सूची (रॉल) में से मौजूद सदस्यों की संख्या में से एक तिहाई होने पर कोरम पूरा होगा;
- (च) प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों (वोटों) की संख्या बराबर हो जाती है, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
- (छ) सामान्य परिषद् के सभापति अपनी अनुपस्थिति में सामान्य परिषद् के उप सभापति को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेंगे।

21. कार्य-परिषद् एवं उसके नियम एवं शर्तें :

- (i) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य-निकाय (बॉडी) होगा;
- (ii) कार्य-परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :
- (क) कुलपति, जो सभापति होंगे;
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;

- (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;
- (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;
- (ङ.) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
- (च) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (छ) रजिस्ट्रार;
- (ज) राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, नालंदा का प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से निम्न नहीं हो;
- (झ) निदेशक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना;
- (ञ) कुलाधिपति के द्वारा तीन शिक्षकों को मनोनीत किया जाएगा, जिसमें एक विभागाध्यक्षों में से होगा, एक प्रोफेसरों में से होगा और एक एसोसियेट प्रोफेसरों में से एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में से होगा।
- (iii) नियम एवं शर्तें :
- (क) जहाँ कोई व्यक्ति पद अथवा नियुक्ति, जिसे वह धारण करता है, के कारण कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह उस पद एवं नियुक्ति को धारण नहीं करता हो;
- (ख) पदेन सदस्यों के अलावा, कार्य-परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;
- (ग) यदि कार्य-परिषद् का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है अथवा विक्षिप्त हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दांडिक अपराध में दोषसिद्ध होता है, तब वह सदस्य नहीं रह जाएगा। कुलपति और रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;
- (घ) पदेन सदस्य के अलावा कार्य परिषद् का कोई सदस्य कुलपति का सम्बोधित पत्र के माध्यम से अपना पद त्याग कर सकता है और कुलपति द्वारा जैसे ही इस त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है वैसे ही ऐसा त्याग पत्र तुरंत प्रभावी होगा;
- (ङ.) कार्य परिषद् में कोई भी रिक्ति कालावधि की शेष अवधि के लिए संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा मनोनयन के माध्यम से भरी जाएगी।

- (iv) कार्य-परिषद् की शक्तियाँ, कृत्य एवं बैठकें :
- (क) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक प्राधिकार होगा और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए कानूनों, के उपबंधों के अध्याधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ उसमें निहित होंगी और उस प्रयोजन के लिए तथा इसके अधीन उपबंधित विषयों के बारे में भी विनियम बनाए जा सकेंगे।
- (ख) कार्य-परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :
- (i) सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक के लिए निम्नलिखित तैयार करना और प्रस्तुत करना :-
- I. विश्वविद्यालय के कार्य सम्पादन के बारे में प्रतिवेदन;
 - II. लेखा-विवरण; और
 - III. आगामी एकेडेमिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव।
- (ii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, कारोबार और सभी अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना एवं विनियमित करना और उस प्रयोजन के हेतु समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों और ऐसे पदाधिकारियों को शक्तियाँ सौंपना, जैसा कि वह उचित समझे;
- (iii) विश्वविद्यालय की ओर से चल-अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना अथवा अन्तरण स्वीकार करना;
- (iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उसमें हेर-फेर करना, कार्यान्वित करना और रद्द करना और उस प्रयोजनार्थ ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझे;
- (v) विश्वविद्यालय कार्य सम्पादन के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य जरूरी साधन उपलब्ध कराना।
- (ग) ग्रहण करना, उस पर निर्णय लेना, जैसा यह उचित समझे, विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करना;
- (घ) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या और पारिश्रमिकों का निर्धारण करना, ऐसी सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि इसके बारे में विनियमों द्वारा यथा विहित हो, ऐसे पदों के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताओं को उल्लिखित करना;
- (ङ) परीक्षकों और परिमार्जकों (मोडरेटर्स) की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटा देना तथा उसकी फीस, पारिश्रमिक और यात्रा एवं अन्य भत्ता एकेडेमिक परिषद् के परामर्श करने के पश्चात् निर्धारित करना;
- (च) विश्वविद्यालय के लिए कॉमन सील का चयन करना; और

- (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन आवश्यक समझा जाय अथवा अधिरोपित किया जाय।
- (v) (क) कार्य समिति की बैठक चार महीनों में कम से कम एक बार होगी और ऐसी बैठक के लिए चौदह दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी;
- (ख) कार्य-परिषद् की बैठक कुलपति के अनुदेश के अधीन अथवा कार्य-परिषद् के न्यूनतम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलायी जाएगी;
- (ग) कार्य-परिषद् के सदस्यों में से आधे सदस्यों से किसी बैठक में कोरम पूरा होगा;
- (घ) सदस्यों के बीच उनकी राय में भिन्नता होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगा;
- (ङ) कार्य-परिषद् के प्रत्येक सदस्यों को एक मत (वोट) होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी विषय पर मतों की संख्या बराबर हो तो यथास्थिति कार्य-परिषद् के सभापति अथवा बैठक में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
- (च) कार्य-परिषद् की प्रत्येक बैठक में कुलपति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा;
- (छ) यदि कार्य-परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई करनी जरूरी हो जाए, तो कुलपति कार्य-परिषद् के सदस्यों को कागजात के परिचालन (सरकुलेशन) द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। लिया गया यह निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सरल बहुमत द्वारा पारित न हो। इस प्रकार के निर्णयों को कार्य-परिषद् के सभी सदस्यों को तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यदि किसी दशा में कार्य-परिषद् उस विषय पर निर्णय लेने में फेल हो जाएगी तब उक्त विषय को कुलाधिपति के समक्ष भेज दिया जाएगा और कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

22. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् :

- (i) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान एकेडेमिक निकाय होगा और इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन विश्वविद्यालय की एकेडेमिक नीतियों के ऊपर समन्वय स्थापित करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण कार्य करेगी;
- (ii) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा:-
- (क) कुलपति, जो सभापति होगा;

- (ख) संकायों का संकायाध्यक्ष (डीन);
- (ग) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
- (घ) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (ङ) राज्य खेल एकेडेमी, राजगीर, नालंदा के प्रतिनिधि (उप निदेशक के पद से निम्न नहीं);
- (च) भारतीय ओलम्पिक संघ, का नामनिर्देशिनी;
- (छ) अध्ययन स्टॉफ में से चार सदस्य; खेल/अन्य शारीरिक शिक्षा कॉलेजों के विश्वविद्यालय के विभागों के क्रमशः प्रोफेसर, एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसरों में से प्रतिनिधित्व करने वाले एक-एक को विनिर्दिष्ट शर्तों के लिए कुलपति द्वारा मनोनीत;
- (ज) प्रसिद्ध खिलाड़ियों अथवा विद्वानों अथवा विद्वत पेशे के सदस्यों में से कुलाधिपति द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति।
- (iii) पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की अवधि और उप धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा जिनकी अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, वह तीन वर्षों की होगी।
- (क) अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों के प्रावधानों के अध्याधीन कार्य-परिषद्, एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण से विश्वविद्यालय के एकेडेमिक कार्यों एवं क्रिया-कलापों को व्यवस्थित करेगा तथा खासकर, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं कृत्यों का निष्पादन करेगा यथा :
- I. विश्वविद्यालय के अधीन शोध को बढ़ावा देना तथा समय-समय पर ऐसे शोध कार्य पर प्रतिवेदन देना;
 - II. संकायों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर विचार करना;
 - III. छात्रवृत्ति, स्कोलरशिप, मेडल्स और पुरस्कार की अनुशंसा करना तथा विनियमों एवं ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार अन्य एवार्ड तैयार करना, जो कि एवार्ड से जुड़ा हो;
 - IV. अध्ययन संबंधी निर्धारित पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम (सिलेबस) अनुमोदित करना;
 - V. निर्धारित अथवा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची को अनुमोदित करना अथवा संशोधित करना;

- VI. एकेडेमिक विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्तव्यों को पूरा करना और वैसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों, के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो;
- VII. सामान्य परिषद् अथवा कार्य परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट अथवा सौंपे गए किसी विषय के बारे में प्रतिवेदित करना;
- VIII. विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, समापन अथवा वर्गीकरण तथा भुगतये पारिश्रमिक एवं उससे जुड़े कर्तव्यों के बारे में कार्य परिषद् को अनुशंसा करना;
- IX. संकायों के प्रबंध के लिए स्कीमों को सूत्रबद्ध करना और हेर-फेर करना अथवा संशोधित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सुपुर्द करना तथा साथ ही किसी संकाय को समाप्त करने अथवा विभाजित करने अथवा किसी एक संकाय को दूसरे के साथ संयुक्त करने के बारे में भी प्रतिवेदित करना;
- X. विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नीतियों के बारे में सुझाव देना;
- XI. अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्रियों को मान्यता देने के लिए अनुशंसा करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों, डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों के संबंध में उनकी समतुल्यता का निर्धारण करना;
- XII. सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी शर्त के बारे में विषय निर्धारित करना और फेलोशिप, स्कॉलरशिप तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता के समय, तरीका और शर्तों को तय करना तथा उसके एवार्ड के लिए अनुशंसा करना;
- XIII. परीक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में कार्य-परिषद् को अनुशंसा करना और जरूरी हो तो उनको हटाने, उनकी फीसों, पारिश्रमिकों एवं यात्रा एवं अन्य खर्चों की अनुशंसा करना;
- XIV. परीक्षा संचालन करने और उनके आयोजन हेतु तिथियों की व्यवस्था करने के बारे में अनुशंसा करना;
- XV. विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने अथवा समीक्षा करने अथवा वैयाकरणों के लिए समिति और पदाधिकारियों की नियुक्ति करने और डिग्रियों, ऑनर्सों, लाइसेंसों, उपाधियों और ऑनर्स-अंकों को प्रदान करने अथवा मंजूर करने के बारे में अनुशंसा करना;
- XVI. ऐसे फारमों और पंजियों को अनुमोदित करना, जैसा कि समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित है।

- (ख) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की बैठकें अकसर होगी, जैसा कि जरूरी हो, किन्तु किसी एकेडेमिक वर्ष में, जैसा कि कानून (परिनियम) में परिभाषित हो, दो बार से कम नहीं;
- I. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की बैठक के लिए कोरम पूरा होगा;
 - II. सदस्यों के बीच मतभिन्नता के मामले में, बहुमत का मत अभिभावी होगा;
 - III. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के प्रत्येक सदस्य, साथ ही एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभापति को एक मत (वोट) होगा और यदि एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रश्न पर मत बराबर हो जाय तो यथास्थिति, एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभापति अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
 - IV. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में उस अवसर पर बैठक में किसी सदस्य का चयन अध्यक्षता करने के लिए किया जाएगा;
 - V. यदि एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक कार्रवाई करनी हो तब कुलपति एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सदस्यों को कागजात के परिचालन (सरकुलेशन) द्वारा कार्य-निष्पादन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सरल बहुमत द्वारा पारित न हो जाए। इस प्रकार के निर्णयों को एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभी सदस्यों को तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यदि किसी दशा में एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् उस विषय पर निर्णय लेने में असफल हो जाए तो उक्त विषय को कुलाधिपति के समक्ष भेज दिया जाएगा और कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- (ग) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के कानूनों, विनियमों, नियमों और अन्य प्रासंगिक निर्णयों से संबंधित सभी मामलों को कार्यकारी परिषद् के माध्यम से सामान्य परिषद् को सूचित करेगा।

23. संबन्धन-बोर्ड :

- (i) संबन्धन-बोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संस्थाओं के सहबद्ध होने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) संबन्धन-बोर्ड के विधान, इसके सदस्यों की पदावधि और इसके कृत्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

24. वित्त समिति :

वित्त समिति के विधान, शक्तियों और कृत्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार :

अन्य प्राधिकारों के विधान, शक्तियों और कृत्यों को, जैसा कि विश्वविद्यालय के होने वाले प्राधिकारों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किया जाए, कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

26. कानूनों को बनाने की शक्ति :

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, कानून (परिनियम) सबों के लिए अथवा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के लिए हो सकेगा, यथा;

- (i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के विधान, शक्तियों और कृत्य जो समय-समय पर गठित किया जाए;
- (ii) उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पद पर लगातार बने रहने, सदस्यों की रिक्तियों को भरने और उन्न प्राधिकारों और अन्य निकायों से संबंधित सभी विषयों, जिसके लिए यह आवश्यक हो अथवा प्रदान करने हेतु वांछनीय हो;
- (iii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों और कृत्यों तथा उनके पारिश्रमिक;
- (iv) विश्वविद्यालय के शिक्षक, एकेडेमिक स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं सेवा-शर्तें;
- (v) संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं एकेडेमिक स्टाफ की नियुक्ति;
- (vi) कर्मचारियों की सेवा-शर्तों, साथ ही पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि, सेवा से हटाए जाने की रीति और अनुशासनिक कार्रवाई;
- (vii) विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा की वरीयता बनाये रखने संबंधी सिद्धांत;
- (viii) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद संबंधी मामलों में मध्यस्थता के लिए प्रक्रिया;
- (ix) विश्वविद्यालय किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया;
- (x) किसी संस्था अथवा किसी विभाग पर स्वायत्त नाम प्रदान करना;

- (xi) संस्थाओं और विभागों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;
- (xii) सम्मानिक उपाधियों प्रदान करना;
- (xiii) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य एकेडेमिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और वापस लेना;
- (xiv) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं सम्पोषित कॉलेजों, संस्थाओं, अध्ययन केन्द्रों और दूरस्थ परिसरों का प्रबंधन;
- (xv) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (xvi) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन कायम रखना;
- (xvii) फेलोशिप, स्कोलरशिप, छात्रवृत्ति, मेडल्स और पुरस्कारों एवं अन्य प्रोत्साहन, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (xviii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेन्शन अथवा भविष्य निधि और बीमा स्कीम की स्थापना संबंधी विधान;
- (xix) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को बनाये रखने संबंधी सिद्धांत; और
- (xx) इस अधिनियम द्वारा है अथवा होने वाले सभी अन्य विषयों को मुहैया करना, कानूनों और विनियमों द्वारा।

27. कानून (परिनियम), किस तरह बनाये जाए :

- (i) सामान्य परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रथम कानून (परिनियम) बनाया जाएगा;
- (ii) कार्य-परिषद्, समय-समय पर नये अथवा अतिरिक्त कानूनों को बनाएगी अथवा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी कानून (परिनियम) को संशोधित अथवा रद्द करेगी;

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के पद, शक्तियों अथवा विधान को प्रभावित करने वाले किसी कानून को न बना सकेगा, न संशोधित कर सकेगा और न ही निरस्त कर सकेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है और वैसी कोई राय दी जाती है, तो कार्य-परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

- (iii) प्रत्येक नए कानून अथवा संशोधन वाले कानून अथवा निरस्त होने वाले कानून में कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसको मंजूरी दे सकेंगे अथवा उसकी मंजूरी को रोक सकेंगे अथवा पुनः विचारण के लिए कार्य-परिषद् को उसे लौटा सकेंगे;

परन्तु कि यदि किसी प्रकार का वित्तीय उलझन हो जिसमें कानून का मामला उठ सकता है, तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा जब तक राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।

28. विनियम :

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम और कानून के अनुरूप अपने कार्यों के निष्पादन के लिए कानूनों द्वारा विहित रीति से विनियम बना सकते हैं और उनके द्वारा बनाई गई समितियाँ और इस अधिनियम और कानून द्वारा व्यवस्थित नहीं हैं तथा ऐसे मामलों के लिए, जैसा कि कानूनों द्वारा विहित किए जाए, परन्तु यह कि यदि कोई वित्तीय उलझन हो, जो विनियम के अधीन उठ सकता है, तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

29. वार्षिक प्रतिवेदन :

- (i) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य-परिषद् के निर्देशनों के अधीन तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए प्रयासों को शामिल किया जाएगा और कानून द्वारा यथा विहित ऐसी तिथि को अथवा उसके पहले सामान्य परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और सामान्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में उस प्रतिवेदन पर विचार करेगी।
- (ii) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणियों, यदि कोई, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- (iii) उप-धारा (i) के अधीन यथा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी उपस्थापित की जाएगी।

30. वार्षिक लेखा और अंकेक्षण

- (i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) कार्य-परिषद् के निदेश के अधीन कम से कम वर्ष में एक बार तैयार किया जाएगा और पन्द्रह महीने से अनधिक समय के अन्तराल पर उसका अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो उनकी ओर से प्राधिकृत किए जायें।

- (ii) वार्षिक लेखा तथा उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार के माध्यम से सामान्य परिषद् एवं कुलाधिपति को दी जाएगी जिसके साथ कार्य परिषद् की टिप्पणी भी होगी।
- (iii) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति की किसी टिप्पणी को सामान्य परिषद् के नोटिस में लाया जाएगा तथा सामान्य परिषद् की टिप्पणी, यदि कोई हो, पर कार्य परिषद् द्वारा विचार करने के पश्चात् इसे कुलाधिपति को समर्पित किया जाएगा।
- (iv) वार्षिक लेखा की प्रति के साथ कुलाधिपति को समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

31. विश्वविद्यालय की निधियाँ :

- (i) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि (जनरल फण्ड) होगी, जिसमें निम्नलिखित को आकलित किया जाएगा :
 - (क) फीस, अनुदान, दान और उपहार, यदि कोई से प्राप्त आय;
 - (ख) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय खेल शिक्षा परिषद् अथवा समान प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार द्वारा अधिगृहीत अथवा नियंत्रित किसी निगम द्वारा दिए गए अंशदान अथवा अनुदान और;
 - (ग) दान और अन्य प्राप्तियाँ;
- (ii) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधियाँ होगी जैसा कि कानूनों में विहित है;
- (iii) विश्वविद्यालय की निधि एवं सभी मुद्राओं को ऐसी रीति से रखा जाएगा जैसा कि कानूनों द्वारा विहित हो;
- (iv) सरकार, प्रत्येक वर्ष में, अध्ययन एवं शोध को सुगम बनाने एवं बढ़ावा प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है।

32. विवरण प्रस्तुत करना :

विश्वविद्यालय राज्य सरकार को अपनी सम्पत्ति अथवा क्रिया-कलापों के बारे में ऐसा विवरण अथवा अन्य जानकारी, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

33. कर्मचारियों की सेवा-शर्तें, इत्यादि :

विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें कानूनों एवं विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

34. अपील करने का अधिकार :

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा सम्पोषित विश्वविद्यालय अथवा किसी कॉलेज अथवा किसी संस्था अथवा किसी अध्ययन केन्द्र का प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र, इस अधिनियम में किसी बात के होते भी, को अधिकार होगा कि वह ऐसे समय के अंतर्गत, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित हो, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा किसी कॉलेज अथवा संस्था अथवा अध्ययन केन्द्र, यथास्थिति प्राचार्य अथवा प्रबंधन के निर्णय के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष अपील करेगा और उसके उपरान्त, कुलाधिपति निर्णय के विरुद्ध की गई अपील की सम्पुष्टि करेगा, संशोधित करेगा अथवा उस निर्णय को पलट देगा।

35. भविष्य निधि एवं पेंशन निधि :

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारी के लाभ के लिए भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का गठन करेगा अथवा ऐसी बीमा स्कीम की वैसी रीति से व्यवस्था करेगा जैसा की वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों की अध्यक्षीन जैसा की सरकार के साथ परामर्श करने के बाद कानूनों द्वारा विहित किया जाए।

36. प्राधिकारों और निकायों के गठन संबंधी विवाद :

यदि कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है अथवा नियुक्त हुआ है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा किसी निकाय का सदस्य होने का हकदार है, तो इस विषय की कुलाधिपति के समक्ष निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिनका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

37. आकस्मिक रिक्तियों को भरना :

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की सभी आकस्मिक रिक्तियों को वैसे व्यक्ति अथवा निकाय (बॉडी) द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी जो सदस्य की नियुक्ति, चुनाव अथवा सहयोजित करते हैं, जिनका स्थान खाली हो गया है और उस आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित अथवा सहयोजित व्यक्ति उस अवधि की अवशेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकार अथवा निकाय का सदस्य होंगे, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान को वह भरता है, सदस्य होता है।

38. रिक्तियों द्वारा प्राधिकारों अथवा निकायों की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी:—

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय के कोई कार्य अथवा कार्यवाहियाँ केवल इसके सदस्यों के बीच किसी रिक्त अथवा रिक्तियों के अस्तित्व के कारण अमान्य नहीं होगी।

39. नेकनीयती में की गई कार्रवाई का बचाव :

किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी, जिसे इस विधेयक, कानून अथवा अध्यादेश एवं विनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में नेकनीयती से अथवा आशय से किया गया है।

40. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत (प्रूफ) का स्वरूप (मोड) :

भारतीय साक्ष्य अनिधिनियम, 1872 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी रसीद, आवेदन, सूचना (नोटिस), आदेश, कार्यवाही अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा निकाय के संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के स्वत्व में किसी अन्य कागजात की प्रति को अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप में अनुरक्षित पंजी (रजिस्टर) में किसी प्रविष्टि, यदि निबंधक द्वारा प्रमाणित हो, की ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प प्रथम दृष्टि साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा और उन्हें विषयों एवं संबन्धों के साक्ष्य स्वरूप स्वीकार किया जाएगा और जहां उसके मूल को, यदि प्रस्तुत हो, साक्ष्य में स्वीकार किया गया है।

41. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :

इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी होने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में किसी आदेश को प्रकाशित कर, इस अधिनियम में उपबंधों के अननुरूप नहीं, ऐसे उपबंध करेगी, जिससे पता चले कि यह आवश्यक हो अथवा कठिनाई को दूर करना उचित हो; परन्तु कि ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के आरम्भ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत पारित नहीं किया जाएगा।

42. अन्तर्वर्ती उपबंध :

इस अधिनियम और कानून (परिनियम) में किसी बात के होते हुए भी—

- (क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों में की जाएगी, जैसा की उचित समझा जाए और उक्त पदाधिकारी ऐसी अवधि के लिए पदधारण करेगा, जो अवधि तीन वर्ष से अनाधिक नहीं होगी अथवा कुलाधिपति द्वारा जो निर्धारित किया जाय;
- (ख) प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त पदाधिकारियों में से प्रत्येक पदाधिकारी तीन वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेगा;
- (ग) प्रथम सामान्य परिषद् और प्रथम कार्य-परिषद् का गठन क्रमशः ग्यारह सदस्यों एवं नौ सदस्यों से अनधिक संख्या में किया जाएगा, जो कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और वे तीन वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेंगे; और
- (घ) प्रथम एकेडेमिक एवं एक्टीविटी परिषद् का गठन नौ से अनधिक सदस्यों से होगी, जो कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे और वे तीन वर्षों की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे।

परन्तु कि उपर्युक्त कार्यालयों और प्राधिकारों में कोई रिक्ति होती है तो उसे यथास्थिति, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अथवा मनोनीत किया जाएगा और वैसे नियुक्त अथवा मनोनीत व्यक्ति वैसी अवधि के लिए पदधारण करेगा जैसा कि पदाधिकारी अथवा सदस्य, जिनके स्थान पर उसे नियुक्त अथवा मनोनीत किया गया है वह पदधारण किए होता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में खेल शिक्षा को सुदृढ करने हेतु बिहार सरकार के 7 निश्चय-2 (2020-25) कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक पृथक विश्वविद्यालय "बिहार खेल विश्वविद्यालय" की स्थापना है।

राज्य में "बिहार खेल विश्वविद्यालय" की स्थापना की स्वीकृति से शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन इत्यादि में खिलाड़ियों/छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। साथ ही खिलाड़ी/छात्र-छात्राएँ इन पाठ्यक्रमों की ओर ज्यादा प्रेरित होंगे तथा इन विषयों की पढ़ाई के लिए उन्हें बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खेल शिक्षा के क्षेत्र में परम्परागत विषयों के अतिरिक्त नये एवं उभरते हुए पाठ्यक्रमों का संचालन तथा संस्थानों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्र-छात्राओं को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार समग्र रूप में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन, खेल प्रशासन इत्यादि से संबंधित खेल शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किये जाने के लिए एक अत्याधुनिक "बिहार खेल विश्वविद्यालय" की स्थापना आवश्यक है।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ राज्य में एक पृथक बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु "बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(डॉ० आलोक रंजन)
भार-साधक सदस्य